Laundary

संख्या– 1381 /क0नि0प्र0/26–3–2014–4(20)/2004

प्रेषक,

केदार नाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,
महानगर,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर,2014

विषयः– धोबी समाज के लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु लाण्ड्री एवं ड्राइक्लीनिंग योजना का संचालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–यू0ओ0–665/26–व0प्र0/2004–4(20)/2004 दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 द्वारा धोबी समाज के लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु रू0 2.16 लाख प्रति इकाई लागत की लाण्ड्री एवं ड्राइक्लीनिंग योजना संचालित की जा रही है।

2– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या–1030/ला0ड्रा0यो0/2014–15 दिनांक 26–06–2014 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में संचालित धोबी समाज के लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु रू0 2.16 लाख प्रति इकाई लागत की लाण्ड्री एवं ड्राइक्लीनिंग योजना के अतिरिक्त रू0 1.00 लाख की प्रति इकाई लागत की लाण्ड्री एवं ड्राइक्लीनिंग योजना का भी संचालन किया जायेगा।

3– रू0 1.00 लाख की प्रति इकाई लागत की संचालित की जाने वाली लाण्ड्री एवं ड्राइक्लीनिंग योजना का मदवार विवरण निम्नवत् हैः–

(क) कार्यशील पूँजी में निम्नलिखित मदों पर धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित हैः–

प्रारम्भिक व्यय	रू0 2000/–
कच्चा माल (साबुन, डिटर्जेन्ट,रसायन, स्टार्च, व्हाइटनर, नील, स्प्राईट, विविध रसायन आदि) एक माह हेतु	रू0 8,000/–
तैयार माल	रू0 2,000/–
रिसीवेबुल/डेविर्टस	रू0 12,000/–
अन्य चल सम्पत्ति	रू0 2,000/–
योग– (क)	रू0 26,000/–

–2–

(ख) प्लान्ट एवं मशीनरी में निम्नलिखित मदों पर धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है:–

वशिंग मशीन हेवी ड्यूटी	रू0 30,000/–
स्टीम प्रेस	रू0 10,000/–
इलेक्ट्रिक प्रेस	रू0 2,000/–
ड्रायर	रू0 2,000/–
शो केस	रू0 12,000/–
बिजली व्यवस्था	रू0 3,000/–
सिलाई मशीन	रू0 5,000/–
अनुदान	रू0 10,000/–
योग– (ख)	रू0 74,000/–
कुल योग– (क)+(ख)	रू0 1,00,000/–

4– प्रश्नगत योजनान्तर्गत लाभार्थियों का सर्वेक्षण/चयन आदि की कार्यवाही निगम द्वारा वर्तमान में संचालित योजना के अनुरूप की जायेगी तथा लाभार्थी को उपलब्ध कराये गये ब्याजमुक्त ऋण की वसूली एक वर्ष के पश्चात् 05 वर्षो में 60 समान मासिक किस्तों में की जायेगी।

5– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 2.16 लाख एवं रू0 1.00 लाख लागत की दोनों परियोजनाएं संचालित की जायेगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3/2467–दस–2014 दिनांक 26 दिसम्बर,2014 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(केदारनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/क0नि0प्र0/26–3–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश।
(4) बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।